उत्तराखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है। इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, अधिवक्ता पंकज पुरोहित और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा शामिल हैं। इन्हें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी शपथ दिलाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित पाँच जज कार्यरत थे। अब न्यायाधीशों की संख्या आठ हो जाएगी।
- मूलत: पौड़ी गढ़वाल के खतसयूं श्रीकोट निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल उत्तराखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रहे। उन्हें 2014 से तीन बार यह ज़िम्मेदारी मिल चुकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बनने के बाद वे 2000 में नैनीताल हाईकोर्ट आ गए। 2002 में केंद्र सरकार के स्टेंडिंग काउंसिल बने और 11 महीने बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया।
- रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा उत्तराखंड बैच के 2005 के हायर ज्यूडिशियरी सर्विस के न्यायिक अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में 1990 में वकालत प्रारंभ की और दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेंडिंग काउंसिल नियुक्त हुए। बाद में वह भारत सरकार के स्टेंडिंग काउंसिल बने। हायर ज्यूडिशियल सर्विस में चयनित होने के बाद वह अपर ज़िला जज हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल रहे।
- विवेक भारती शर्मा प्रिंसिपल ज़िला जज पिथौरागढ़ और पौड़ी भी बने। उन्होंने राज्यपाल के विधि सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। वह वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, उजाला भवाली के निदेशक और ज़िला जज हरिद्वार भी रहे हैं। अप्रैल 2022 में उन्हें हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया।
- देवल ग्वाड़ चमोली निवासी अधिवक्ता पंकज पुरोहित का 1992 में इलाहाबाद बार काउंसिल में पंजीयन हुआ। 1997 से वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। वह बीमा कंपनियों, ज़िला पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय आदि के अधिवक्ता रहे हैं।
- मई 2017 में वह उत्तराखंड हाईकोर्ट में उप महाधिवक्ता बने, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया।

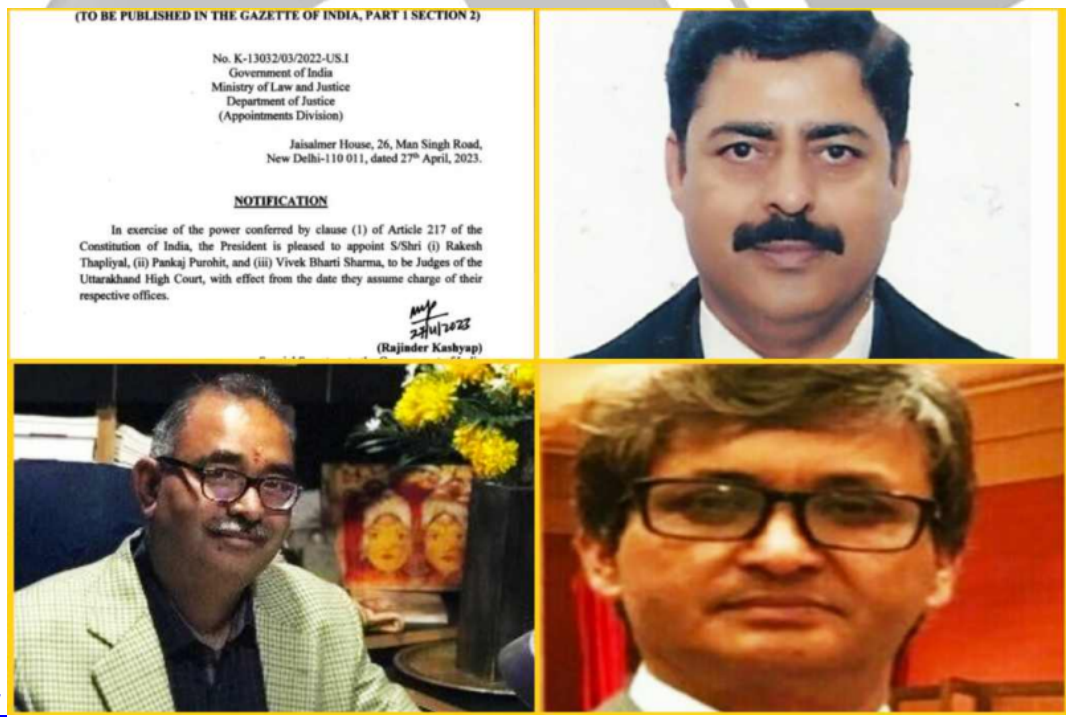
(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART I SECTION 2)

No. K-13032/03/2022-US.I
Government of India
Ministry of Law and Justice
Department of Justice
(Appointments Division)

Jaisalmer House, 26, Man Singh Road,
New Delhi-110 011, dated 27th April, 2023.

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Rakesh Thapliyal, (ii) Pankaj Purohit, and (iii) Vivek Bharti Sharma, to be Judges of the Uttarakhand High Court, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

27/04/2023

(Rajinder Kashyap)

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/president-approves-appointment-of-three-new-judges-in-uttarakhand-high-court